

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-01/2016गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0006-उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ0पी0 की सुदृढीकरण हेतु एस0आर0ई0 स्कीम के तहत, विषय शीर्ष 27 01-लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड N2055001090006 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0017-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय एवं 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा विपत्र कोड N2055001090017 अंतर्गत क्रमशः ₹ 1,25,00,000 एवं ₹ 2,25,00,000 यानि कुल ₹ 3,50,00,000 (तीन करोड़ पचास लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-01/2016 गृ0आ0..... 9159.....पटना, दिनांक 23/11/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

[Signature]